आदेश

जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रतखाल से खाल्यूं (सीमा–रिष्टमा) मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 4.104 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की कुल 8.208 है0 सिविल भूमि का नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग–2,उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में तथा याचक विभाग, अधिशासी अभियन्ता,पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, सल्ट के अनुरोध के क्रम में उप जिलाधिकारी, भिकियासैंण द्वारा अपने पत्र संख्या 331/विविध/2024 दिनांक 11–01–2024 से प्राप्त प्रस्ताव/आख्या संस्तुति के साथ निम्नवतः अभिलेखों सहित क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, खतौनी,खसरा एवं नक्शा एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून के आदेश संख्या 08बी./यू.सी.पी./06/74/2019/एफ.सी./818 दिनांक 19–07–2019 के द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति के आधार पर क्षतिपूरक– वृक्षारोपण हेतु ग्राम ग्राम गहण तिमले, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र नैलवालपाली, तहसील भिकिसौंण, जिला अल्मोड़ा के गै0ज0वि0ख0खा0संख्या 33 श्रेणी 9(3)क जंगल के खेत नं0 2214, 2216 व 2223 मध्ये कुल 8.208 है0 सिविल भूमि को क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार, भिकियासैंण तद्नुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक 25 जनवरी,2024

(विनीत तोमर)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या–2724/ग्यारह– 11 /2023–24 दिनांकः 27 जनवरी,2024

प्रतिलिपिः निम्नाकिंतों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
2– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
3– उप जिला अधिकारी, भिकियासैंण, जनपद अल्मोड़ा।
4– तहसीलदार, भिकियासैंण।
5– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सल्ट।
6– अधिशासी अभियन्ता,पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, सल्ट।

(विनीत तोमर)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।